निग /2910/II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

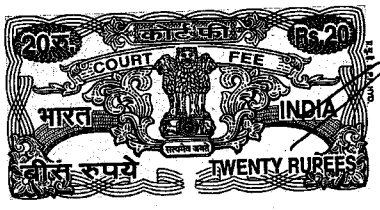

श्री छोटेलाल गर्ग तनय तिलकधारी प्रसाद गर्ग निवासी ग्राम–कबरा, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा म0प्र0

———आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

श्री देवेन्द्र प्रसाद गर्ग तनय श्री छोटेलाल गर्ग निवासी ग्राम–खैर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा म0प्र0

———अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सिरमौर, जिला-रीवा दिनांक 21-07-15 जो प्रकरण क्रमांक-39अ6/13-14 में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य

अ– आवेदक के तीन पुत्र है जिनमें से अनावेदक सबसे बड़ा पुत्र है। ग्राम स्थित भूमि नम्बर–561 रकवा 1.69ए0, 570 रकवा 2.34ए0, 571 रकवा 3.42ए0, कुल 3 किता कुल रकवा 7.54ए0 आवेदक व अनावेदक के भाई स्व0 विश्वम्भर प्रसाद के 1/2–1/2 हिस्से की भूमि है, विश्वम्भर प्रसाद का निःसंतान देहान्त दिनंका 22–04–07 को हुआ तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के द्वितीय अनुसूची के अनुसार उस 1/2 हिस्से का भी निगरानी कर्ता उत्तराधिकारी हुआ जो नामान्तरण प्रमाणित किया गया व आवेदक के नाम पूरी भूमि वर्ष 2009 से दर्ज रही आई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2910–दो/2015 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–10–2015	आवेदक की ओर से श्री शिवप्रसाद द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है । उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों एवं बिन्दुओं के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में निगरानी मेमों के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक–21.07.2015 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय के इसी प्रकरण कमांक–39/अ–6/13–14 को संहिता की धारा 29 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अन्य पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कराने का निवेदन किया गया है जिसका निराकरण भी इस न्यायालय के विविध प्रकरण कमांक– 2139/दो/15 में पारित आदेश के माध्यम से किया गया है । तहसीलदार के उक्त प्रकरण कमांक–39/अ–6/13–14 में ही इस प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक–21.7.15 पारित किया गया है । यही आदेश इस प्रकरण में चुनौतीयुक्त है । अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि तहसीलदार सिरमौर के उक्त न्यायालयीन प्रकरण कमांक–39 /अ–6 /13–14 में पारित आदेश एवं प्रकरण पत्रिका की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके (तहसीलदार के) द्वारा आदेश दिनांक–21.7.2015 पारित करने से पूर्व आवेदक छोटेलाल को अपना साक्ष्य एवं साक्ष्यिक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया गया है यदि वे चाहते तो उक्त प्राप्त अवसर का लाभ उठाते हुए उनके पास उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे जो उनके द्वारा नहीं किए गये । उनके द्वारा अनावश्यक रूप से राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करते हुए स्वयं का समय तो वर्वाद किया ही है साथ ही न्यायालय का भी अमूल्य संमय नष्ट किया गया है उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आवेदक को इस न्यायादेश के द्वारा आदेशित किया जाता है, कि यदि वे अपना अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है तो इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए तहसीलदार के समक्ष अपना मूल अभिलेखीय साक्ष्य इस आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर प्रस्तुत करें । तहसीलदार को यह आदेश दिए जाते है कि वे अपने न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में आवेदक	

R-2910/11/15

को एक अवसर उक्त निर्देशो के कम में प्रदाय करें, उक्त निर्धारित अवधि में अभिलेखीय साक्ष्य मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह अवसर समाप्त मानते हुए प्रकरण में न्यायहित में विधिअनुकूल अग्रिम कार्यवाही जारी रखते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के तहत नीतिगत निर्णय पारित करें । उक्त निदेशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

सदस्य